



**GOVERNMENT OF PUNJAB**  
**GREATER MOHALI AREA DEVELOPMENT AUTHORITY**  
 PUDA Bhawan, Sector 62, S.A.S. Nagar  
**PUBLIC NOTICE**

M/s BSBP Estates Private Limited was granted Colony License No. 63/2024 for development of Affordable Colony at Village Azizpur and Khizergarh, Sub-Tehsil Banur, Distt. S.A.S. Nagar subject to the terms and conditions to be compiled by this promoter. As per the terms and conditions of this license, this promoter was also required to deposit the statutory charges of External Development Charges, License Fee and Social Infrastructure Fund with the Competent Authority. However, the Promoter has failed to submit dues of Rs. 1.90 Crores (approx.) against installment dated 03.06.2025 and Post Dated Cheques of Rs. 13.21 crores against future installments and has become a defaulter. The Promoter has been issued various notices to deposit the overdue installment dated 03.06.25 and PDCs against all future installment but till date the Promoter has not made any payment nor has submitted the PDCs. Due to non-compliance on the part of this Promoter, the Concerned Offices have been requested to initiate action against this Promoter such as to stop registrations of properties falling in the project, cancellation of RERA registration of the project, withdrawal of layout plan, suspension/cancellation of License and to stop all the Building Approvals of this project by GMADA.

General Public is hereby informed and advised not to engage in any sale or purchase transaction of flats/apartments or any properties with this promoter (M/s BSBP Estates Private Limited). If any person still proceeds with it, the same shall be entirely at the risk and cost of the said person.

**Competent Authority-cum-Chief Administrator.**

CPR/PW/1716/12/2025-26/2345



**पंजाब सरकार**  
**ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण**  
 पुद्दा भवन, सेक्टर 62, एसएस नगर  
**सार्वजनिक सूचना**

मैसर्स बीएसबीपी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम अजीजपुर और खिजरागढ़, उप-तहसील बनूर, जिला एसएस नगर में किरायेती कॉलोनी के विकास के लिए कॉलोनी लाइसेंस संख्या 63/2024 प्रदान किया गया था, जिसका पालन प्रमोटर द्वारा किए जाने वाले नियमों और शर्तों के अधीन था। इस लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, प्रमोटर को बाह्य विकास शुल्क, लाइसेंस शुल्क और सामाजिक अवसंरचना निधि के वैधानिक शुल्क भी सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कराने थे। हालांकि, प्रमोटर दिनांक 03.06.2025 की किस्त के लिए 1.90 करोड़ रुपये (लगभग) और भविष्य की किस्तों के लिए 13.21 करोड़ रुपये के उत्तर दिनांकित चेक जमा करने में विफल रहा है और डिफॉल्टर बन गया है। प्रमोटर को दिनांक 03.06.25 को बकाया किस्त और सभी भविष्य की किस्तों के लिए पीछेसोत्र जमा करने के लिए विभिन्न नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन आज तक प्रमोटर ने न तो कोई भुगतान किया है और न ही पीछेसोत्र जमा किए हैं। इस प्रमोटर को ओर से अनुपालन न करने के कारण, संबंधित कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें जैसे कि परियोजना में आने वाली संपत्तियों का पंजीकरण रोकना, परियोजना का रैप पंजीकरण रद्द करना, सैआऊट प्लान वापस लेना, लाइसेंस निलंबित/रद्द करना और गमाख द्वारा इस परियोजना के सभी भवन अनुमोदन रोकना। आम जनता को एतद् द्वारा सूचित और सलाह दी जाती है कि वे इस प्रमोटर (मैसर्स बीएसबीपी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड) के साथ प्लॉट/अपार्टमेंट या किसी भी संपत्ति की बिक्री या खरीद के किसी भी लेन-देन में शामिल न हों। यदि कोई व्यक्ति फिर भी ऐसा करता है, तो वह पूरी तरह से ठक व्यक्ति के जोखिम और लागत पर होगा।

10.11.2025 सक्षम प्राधिकारी-सह-मुख्य प्रशासक।  
 DPR/1716/12/2025-26/2345